वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण के लालपुर लैण्डमार्क टावर फेस 1, आकाशदीप एवं अशोक बिहार आवासीय योजना के अन्तर्गत रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा प्राप्त करने का सुअवसर :–

नीलामी हेतु उपलब्ध व्यावसायिक सम्पत्तियो का विवरण

क्रमाक	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	तल	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आरक्षित न्यूनतम मूल्य रु0 लाख में	पंजीकरण धनराशि 10 प्रतिशत(रू0 में)
1	अशोक विहार	15	दुकान	भूतल	18.50	3749500.00	374950.00
2	अशोक विहार	16	दुकान	भूतल	21.60	4376100.00	437610.00
3	अशोक विहार	18	दुकान	भूतल	21.60	4376100.00	437610.00
4	अशोक विहार	19	दुकान	भूतल	21.60	4376100.00	437610.00
5	अशोक विहार	20	दुकान	भूतल	18.50	3749500.00	374950.00

आवंटन की शर्तें:-

1- सम्पत्तियाँ "जहॉ हैं, जैसे हैं" की स्थिति में नीलाम की जायेगी। किसी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय का निर्णय आवंटी को मान्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व विज्ञापित सम्पत्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

2- लीज की संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त, सम्पत्ति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत प्री-पेड लीज रेन्ट देय होगा।

3- सम्पत्ति का कब्जा वास्तविक माप के अनुसार आवंटी को लेना अनिवार्य होगा। यदि क्षेत्रफल या आकार पूर्व सूचित/विज्ञापित क्षेत्रफल या आकार से भिन्न होगा तो संशोधन की स्थिति के अनुसार आवंटी को धनराशि भुगतान करना होगा।

4- किसी भी नीलामी में कम से कम दो अभ्यर्थी होगें। विशेष परिस्थितियों में एक अभ्यर्थी (बोलीदाता) के पक्ष में भी विचार किया जा सकता है, परन्तु इसके लि उसकी पूर्ण विवेचना जैसे प्रश्नगत सम्पत्ति कितनी बार नीलामी में लगाई गयी, कितनी बोली आयी थी, सम्पत्ति में क्या खराबी अथवा अन्य क्या कारण हैं जिससे नीलामी बोली कम आई है, का सत्यापन करने के बाद ही विषय उपाध्यक्ष को निर्णयार्थ अग्रसारित किया जायेगा, जिसपर उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

5- नीलामी, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की स्वीकृति के उपरान्त ही अन्तिम होगी।

6- आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से सम्पत्ति मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि 01 माह में जमा करनी अनिवार्यतः होगी। आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत सम्पत्ति की सम्पूर्ण धनराशि आवंटी को अनिवार्यतः जमा करनी होगी। समय से धनराशि जमा न किये जाने पर नीलामी/आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए उक्त के अतिरिक्त जमा शेष धनराशि में से 25 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।

7- नीलामी व सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी का निर्णय अन्तिम होगा।

8- सभी आवेदक प्राधिकरण के वेवसाईट लिंक **https://eauction.vdavns.com/home** पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग के मो0 न0 9616536355, 9580956031 से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी
(सम्पत्ति)